

पंजीकरण पुस्तिका

2021

भूमि विकास एवं गृहस्थान

योजना संख्या-3, झांसी

में सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत

आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण प्रारम्भ

दिनांक 16 फरवरी, 2021

से 20 मार्च, 2021 तक

ऑनलाइन पंजीकरण
के लिए :
www.upavp.in
पर लागू आन करें।



परियोजना पूर्ण होने की अवधि- 24 माह
रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ406852



सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com



योजना के विशेष आकर्षण

- उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा कानपुर ग्वालियर वाईपास रोड पर सखी के हनुमान मंदिर के समीप स्थित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी एक नवीनतम आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है। सम्पूर्ण योजना का क्षेत्रफल लगभग 44.00 एकड़ है। योजना के प्रमुख आकर्षण निम्नवत् है :-
- पैरामेडीकल कालेज से मात्र 500 मीटर की दूरी पर।
- महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कालेज, झांसी से मात्र 1 किमी० की दूरी पर।
- बुन्देलखण्ड औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी से मात्र 1.50 किमी० की दूरी पर।
- झांसी शहर के मुख्य बाजार से मात्र 2.50 किमी. की दूरी पर।
- मुख्य रेलवे स्टेशन झांसी जंक्शन से मात्र 8 किमी. व मुस्तारा रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किमी. की दूरी पर।
- कोछा भांवर मे प्रस्तावित अन्तरराज्यीय बस स्टेण्ड से मात्र 1.5 किमी दूरी पर।
- झांसी के प्राचीन व प्रसिद्ध सखी के हनुमान मंदिर के परिसर से लगा हुआ।
- योजना मे 30 मीटर चौड़ी सड़क, बड़े चौराहे, जलापूर्ति, सीवेज निस्तारण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, कूड़ा निस्तारण, स्ट्रीट लाइट आदि की सुनियोजित व्यवस्था।
- आकर्षण लैण्डस्कैप, पार्क एवं हरीतिमा युक्त वातावरण।



एक परिचय

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद


उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह—अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया है।

उद्देश्य

- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत आवेदकों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- शासन नीति के अन्तर्गत, समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के आवेदकों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना, नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

- भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कास्ट इफेक्टिव टेक्नोलाजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना ।
- प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना ।
- आवंटियों में सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना ।
- परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, ड्रेनेज, सीवरप्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है । इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनायें स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित कर सके ।

ले-आउट प्लान



भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी लोकेशन मैप



KEY PLAN OF YOJNA No-03, JHANSI

भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, झांसी

आवासीय भूखण्डों का विवरण

क्रम सं०	योजना/शहर का नाम	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूखण्डों की संख्या	मूल्य भूमिदर (प्रति वर्गमी०)	पंजीकरण धनराशि 5 प्रतिशत
1	2	4	5	6	7
1	भूमि विकास एवं	40 वर्गमी०	65	19670.00	39400.00
2	गृहस्थान योजना	60 वर्गमी०	44	19670.00	59100.00
3	संख्या-3, झांसी	75 वर्गमी०	17	19670.00	73800.00
4	(सेक्टर बी, सी एवं डी)	162 वर्गमी०	30	19670.00	159400.00
कुल योग			156 नग		

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने हेतु :-

- आवंटन पत्र निर्गमनकी तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का भुगतान 60 दिन के अन्दर करने पर देय कुल मूल्य पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

किश्तों में भुगतान विकल्प देने हेतु :-

- भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भूखण्ड के मूल्य में 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क को जोड़कर 50 प्रतिशत धनराशि एक माह में (पंजीकरण धनराशि सहित) एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि 24 मासिक किश्तें + दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी MCLR+1 (7.95%+1%=8.95%) प्रतिशत ब्याज सहित। किश्तों का भुगतान प्रदेशन पत्र जारी होने के तुरन्त बाद प्रभावी हो जायेगा।

नोट :-

- तालिका में दर्शायी गयी भूखण्डों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होने की दशा में तदानुसार धनराशि देय होगी।
- भूखण्डों की स्थिति के अनुरूप पी.एल.सी. (कार्नर सम्पत्तिपर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग/ग्रीनबेल्ट पर 5 प्रतिशत) अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी भूखण्ड की प्रास्थिति में कार्नर, पार्कफेसिंग/ग्रीनबेल्ट दोनों सुविधायें अनुमन्य हो रही हैं तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक होगा। उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरान्त राज्य सरकार के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। कोई विवाद मान्य नहीं होगा, तथा आवास आयुक्त(म0) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- भूखण्ड का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- भूखण्ड का कब्जा परिषद आवंटन तिथि से 24 माह में प्रदान करेगा। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस.बी.आई. की ब्याज दर MCLR+1 प्रतिशत (7.95%) +(1%) अर्थात् 8.95% के अनुसार उसी आवंटी को देय होगा, जो अपनी किश्तें जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी कि उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाये तथा "Force Majure" की स्थिति में यह भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

1. भुगतान का तरीका

(एक मुश्त भुगतान की दशा में)

- 1.1 आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का 60 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के मूल्य पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

(किश्तों में भुगतान की दशा में)

- 1.2 आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में आनलाईन/आफलाइन जमा की जा सकेगी।
- 1.3 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- 1.4 यदि आवंटी अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या में कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किश्तों के पुर्न निर्धारण हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती हैं। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य, एक मुश्त जमा किया जा सकता है।

- 1.5 पंजीकरण आवंटन हेतु प्रदेशनपत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर 50प्रतिशत धनराशि एवं शेष धनराशि 24 मासिक किश्तों में दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी MCLR+1 प्रतिशत अर्थात् 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत की दर के अनुसार देय होगी।
- 1.6 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी ब्याज दर MCLR+1 प्रतिशत अर्थात् 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। परिषद द्वारा बकाये की तीन पंजीकृत नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिये आवंटी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 1.7 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से नकद/बैंकड्राफ्ट/बैंकर्सचैक/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. एवं आनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंकड्राफ्ट/बैंकर्सचैक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद"/"UPAVP" के नाम जो झांसी शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 1.8 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

नोट—क्रमांक 1.6 एवं 1.7 एक मुश्त भुगतान एवं किश्तों में भुगतान दोनों दशा में अनुमन्य होगा।

2. आवंटन नियम

- 2.1 आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी।
- 2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- 2.3 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई-मेल upavp.jhs@gmail.com से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदनुसार परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण संबंधित, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 2.4 सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- 2.5 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।
- 2.6 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

- 2.7 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनका आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात् परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक / व्यक्तिगत / ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा ।
- 2.8 सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र / मांग पत्र निर्गमन के पश्चात् भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।
- 2.9 आवंटित भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्ताव आनलाईन वेबसाइट www.upobpas.in पर आवेदन उपविधि 2008 यथा संशोधित 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा । तत्पश्चात् निर्माण कार्य मान्य होगा ।
- 2.10 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी । उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी ।
- 2.11 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी ।
- 2.12 आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा ।
- 2.13 प्रथम चरण में एक-मुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा । उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किशतों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा की कार्यवाही की जायेगी ।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- आवेदक भारत का नागरिक हो ।
- आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये ।
- भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा / आय सीमा का प्रतिबंध नहीं होगा ।
- आवेदक अथवा उसका परिवार एकनगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा ।
- आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) कय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो ।
- भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है ।

4. आवेदन आनलाइन/आफलाइन माध्यम से किये जायेंगे

- 4.1 आनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Home Page) के लिंक "Online Registration For Plot" पर क्लिक करना होगा।
- 4.2 इसके पश्चात् खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Plot, Bhomi VikasevamgrehsthanYojana No.-3 Jhansi" पर क्लिक करना होगा।
- 4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियाँ भली-भांति पढकर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- 4.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- 4.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले ही पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 4.6 यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशनपत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। आवंटन तिथि से 03 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 4.7 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादन किया जायेगा।
- 4.8 अनुबंध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबंध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
- 4.9 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त, योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।
- 4.10 आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

5. आरक्षण :

क्रम सं०	श्रेणी/आरक्षण वर्ग	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियां ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	—उपरोक्तानुसार—
3	अन्य पिछडावर्ग	27	—उपरोक्तानुसार—
4	मा० विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ)पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायेँ (ब)समुचित प्रमाण पत्र।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारीजो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायेँ
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदनपत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध करायेँ शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायेँ। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/ परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 1 से 3 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी

5.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित होजाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

5.2 उ०प्र० के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेगें। उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

6. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

6.1 लाटरी ड्रा के पश्चात् असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

7. भूखण्ड का भौतिक कब्जा

7.1 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशनपत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी। उक्त के उपरान्त सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्रीकरार (Agreement to sale) निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।

7.2 मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 24 माह की अवधि में, हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है।

7.3 आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त विविध देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरो पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

7.4 प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न लेने पर, विलम्ब अवधि हेतु, रख-रखाव शुल्क रू0 50.00 प्रतिदिन की दर से देय होगा।

8. तथ्यों को छिपाना

8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

9. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त

9.1 योजना आवासीय है। अतः भूखण्ड का प्रयोग केवल आवासीय हेतु ही किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर विक्रय विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्तीकरण के साथ ही साथ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

- 9.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नामिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर नियमानुसार पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि ऐसा आवेदक उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो ।
- 9.3 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, संबंधित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा ।
- 9.4 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा । किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा ।
- 9.5 किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त (म0) में निहित होगा ।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1- आवेदन पत्र हिन्दी व अंग्रेजी मे भर सकते हैं । आवेदन पत्र काले अथवा नीले प्वाइंट पेन से भरा जाये ।
- 2- आवेदन पत्र मे नाम (क़मांक 6 एवं 7क) हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें ।
- 3- अंग्रेजी में सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदनपत्र के ब्लॉक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरे । हस्ताक्षर किसी भी भाषा मे किये जा सकते हैं ।
- 4- आवेदक केवल अंको के अर्न्तराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें । जैसे: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- 5- आवेदक को पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर स्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र एवं आधा भाग फोटो ग्राफ पर आये । संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति मे दोनो का संयुक्त फोटो ग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा ।
- 6- एक ब्लॉक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें ।
- 7- नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दो के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लॉक छोड़ा जायें ।
- 8- आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (SEX) कालम में पुरुष हेतु M महिला हेतु F भरे । संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु HW भरें ।
- 9- सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका मे दिये गये विवरण को भरना होगा ।
- 10- आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें । आरक्षण के प्राविधानो को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा । रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यार्थ को अनारक्षित की श्रेणी में माना जायेगा । आरक्षित आवेदक को आरक्षण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा ।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां—जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

आवेदक का परिवार:-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा आवश्यक बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है।

भूखण्ड :-

भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निधारित अवधि के लिए विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिए पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि से संबंधित है, इसलिए विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण—पत्र में इस विशेष पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ०प्र० राज्य की सेवामें तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जोकि 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, से है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:-

1. जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकालापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडरट्राय लकैदी के रूप में कम से कम तीन माह की अवधि के लिए रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में गोली से घायरल हुआ हो या जिसमें वीर गति प्राप्त की हों।

2. जो पेशावर कांड में रहे हो या जो भूतपूर्व आजाद हिन्दफौज के प्रमाणित सैनिक हो या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हो।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचितजाति / अनुसूचितजनजाति / पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्र हीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधीभर्ती या प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूरी हो।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधीभर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

MCLR+1% का तात्पर्य :-

दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस.बी.आई की MCLR जोकि 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत से ब्याज की गणना की जायेगी।

Marginal cost of funds-based lending rate is in simple words. Fix the interest rate on the floating rate Loans.

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछला वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04

हारिजेन्टल आरक्षण	कोड
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	G
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,	B
विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका	
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
विस्थापित	W

शहर	कोड
झांसी	J
लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरुष	M
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW
भुगतान	कोड
नकद	01
किश्त	02

जानकारी हेतु परिषद के निम्न अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं

राघवेन्द्र खण्डेलवाल
सम्पत्ति प्रबंधक
झांसी
मो0-8795811557

एखलाक अहमद
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, बुन्देखण्ड-1, झांसी
मो :- 8795811696

मुकेश यादव
अधीक्षण अभियन्ता,
बुन्देलखण्ड
मो- 8795810191

अरविन्द कुमार
अधीक्षण अभियन्ता /
संयुक्त आवास आयुक्त
(कानपुर जोन) कानपुर
मो0-8795810209

आनलाइन/आफलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

पंजीकरण 16-02-2021 से प्रारम्भ

पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 20-03-2021

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	संबंधित अधिकारी	दूरभाष संख्या
1	HDFC Bank मसीहागंज, सीपरी बाजार, शिवपुरी रोड, झांसी	श्री अभिषेक मिश्रा शाखा प्रबंधक	9721454577

आवेदन आनलाइन/आफलाइन के माध्यम से किये जायेगे।

रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

समक्ष:-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री / श्रीमती / कु0.....पुत्र / पुत्री / पत्नी.....उम्र.....निवासी.....
.....शपथ पूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि :-

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे पति / पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति / पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं हैं। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूँगा / दूँगी।
4. मैं.....यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती.....
.....जो रिश्ते में मेरे / मेरी.....है एवं खून के सम्बन्धी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती.....जो मेरे / मेरी.....
.....है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।
5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा / करूँगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. मैं आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।
7. मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

भूखण्डों के आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

- पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) जी.एस.टी. सहित आनलाईन जमा करना होगा।
- आनलाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Home Page) के लिंक "Online Registration For Plot" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात् खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Plot, Bhomi Vikas Yojana Number-3 Jhansi" पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियाँ भली-भांति पढकर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात् उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic information) यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाईल नंबर, ई-मेल, इच्छित भूखण्ड आदि विवरण आनलाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- Submit करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजरआई.डी./पासवर्ड के साथ साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशानिर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेबपेज पर अंकित लिंक प्रिन्ट पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथमचरण (Step-1) की ई-रसीद (e-print) का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट आउट में अंकित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration of Plot"
- ✓ Click on Link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select Payment category as "Registration" and provide Registration I.D.. then click on 'Submit Button.
- ✓ Provide the required necessary details & Click 'Submit'
- ✓ After Clicking on 'Confirm' Button' Bank MOPS* will be available.
- ✓ Applicant can choose anyone option for making payment.



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

हमारा यही प्रयास - आपका अपना आवास



सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com

विस्तृत जानकारी परिषद के

टॉल फ्री **1800-180-533**

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

मूल्य ₹ 1000 /- (जी.एस.टी. सहित)